

सत्येन्द्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केन्द्र



उपनियमावली

ब्लॉक - जे०डी०, सेक्टर - ३, साल्टलेक सिटी, कोलकाता-७०० ०९८

अनुक्रमणिका

1. शासी निकाय
2. निदेशक
3. प्रशासनिक अधिकारी
4. कर्मचारियों का वर्गीकरण
5. कर्मचारियों की नियुक्ति
6. नियुक्ति हेतु चयन समिति
7. सेवा संबंधी नियम एवं शर्तें
8. वित्त एवं लेखा
9. भत्ता, ऋण एवं अग्रिम
10. छुट्टी नियमावली
11. चिकित्सा अनुलाभ
12. आचरण, अनुशासन, दंड एवं अपील
13. केन्द्र की समितियाँ
14. उपदान
15. अवैतनिक संकाय सदस्यों की सुविधाएँ एवं उत्तरदायित्व
16. सामान्य नियंत्रण

सामान्य

1. यह सभी उपविधियाँ अथवा इसमें बाद में किये गये संशोधन केन्द्रीय सरकार द्वारा उपविधियों के अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होंगी।
2. **शंकाओं का निराकरण :** इन उपविधियों के किन्हीं उपबंधों की व्याख्या के कारण जहाँ शंकायें उठती हैं, इनके निर्णय हेतु इसे शासी निकाय को प्रेषित की जाएगी।
3. इन उपविधियों का कोई भी उपबंध केन्द्र द्वारा संशोधित करने, छूट देने, रद्द करने अथवा माफी किये जाने अथवा इन उपविधियों में कुछ जोड़े जाने, जैसा कि उचित समझा जाय, की शक्ति समिति अथवा संक्षिप्त करना हुआ नहीं समझा जाय।

1. शासी निकाय

- 1.1 : **कार्यसूची** : शासी निकाय की कार्यसूची शासी निकाय के सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा एवं निदेशक के अनुमोदन के बाद पंद्रह दिनों के भीतर सदस्यों को वितरित किया जाएगा।
- 1.2 : **स्थगन** : शासी निकाय के चार सदस्यों की उपस्थिति में शासी निकाय के किसी भी बैठक की गणपूर्ति होगी। कोरम के अभाव में शासी निकाय की बैठक अध्यक्ष द्वारा तय किये गये एक तिथि के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगन एक ही दिन के लिए हो सकता है।
- 1.3 : **कार्यवृत्त** : शासी निकाय के बैठक का कार्यवृत्त शासी निकाय के सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा एवं अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा। प्रमाणीकृत कार्यवृत्त शासी निकाय के सभी सदस्यों को एक माह के भीतर वितरित किया जाएगा। बैठक का कार्यवृत्त इसकी आगामी बैठक में शासी निकाय के समक्ष ध्यान देने योग्य बात के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- 1.4 : **रिक्ति** : शासी निकाय के सचिव संबंधित अधिकारी सदस्य के कार्यालय में किसी रिक्ति को भरने के लिए एक शुद्ध नामांकन द्वारा सूचित करेंगे।
- 1.5 : **समितियाँ एवं उप समितियाँ** : शासी निकाय द्वारा गठित विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों के विवरण संघ के ज्ञापन के नियम 28(4) एवं धारा 15 में लिखे गये हैं।

2. निदेशक

- 2.1 : निदेशक केन्द्र के मुख्य कर्मचारी और अकादमिक अधिकारी होंगे एवं शासी निकाय के नियमों, उपनियमों और निर्देशों के अनुसार केन्द्र के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। वह केन्द्र के कार्यक्रम तथा अनुसंधान परियोजनाओं पर सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। केन्द्र के समस्त कर्मचारी सदस्य निदेशक के सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत रहेंगे।
- 2.2 : आपातकाल की स्थिति में, निदेशक आवश्यकतानुसार उक्त कार्तवाइ ले सकते हैं एवं आगामी बैठक में शासी निकाय को इसकी सूचना देंगे।
- 2.3 : नियम के अनुसार बजट प्रावधान के लिए सभी व्यय निदेशक या निदेशक द्वारा, लिखित तौर पर किसी कर्मचारी सदस्य को प्रदान की गयी शक्ति के तहत, अनुमोदित एवं स्वीकृत किया जाएगा।
- 2.4 : निदेशक के पास निम्न परिस्थितियों में फिर से विनियोजन बनाने की शक्ति होगी।
 - (क) प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य “वेतन, भत्ता एवं भविष्य निधि योगदान शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन के बिना संवर्धित नहीं किया जाएगा।
 - (ख) मुख्य पूँजीगत व्यय ने कोई पुनः विनियोजन मुख्य राजस्व खर्च करने के लिए नहीं बनाया जाएगा।
 - (ग) बजट में शामिल नहीं किये गये किसी नयी परियोजना के पुनः विनियोजन हेतु पूँजी व्यय के लिए शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

व्यक्तिगत रूप से स्वयं एक पार्टी होंगे, तब यह केन्द्र की ओर से निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

4. कर्मचारियों का वर्गीकरण

4.1 : केन्द्र के कर्मचारियों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

शैक्षिक कर्मचारी : निदेशक, प्रोफेसर, रीडर, फेलो, व्याख्याता एवं वैज्ञानिक अधिकारी।

प्रशासनिक कर्मचारी : प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, अधीक्षक, भंडार-रक्षक, आशुलिपिक, लिपिक, निजि सहायक, चालक, परिचर, सहायक, माली, चौकीदार, पहरेदार एवं इस तरह के अन्य कर्मचारी को इस श्रेणी के अंतर्गत शासी निकाय द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है।

तकनीकी कर्मचारी : पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रतेखन अधिकारी, ओवरसियर, कार्यशाला अभियंता/अधीक्षक, फोरमैन, वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, ग्लास ब्लोवर, मैकेनीक, इलेक्ट्रीशियन एवं इस तरह के अन्य कर्मचारी को इस श्रेणी के अंतर्गत शासी निकाय द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है।

4.2 : सभी नियुक्तियाँ धारा 6 में लिखित विवरण के अनुसार गठन किये गये चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

4.3 : शासी निकाय असाधारण मामलों में, विदेश में योगदान देने वालों में से चयनित को उक्त दर पर एवं उक्त शर्तों के तहत केन्द्र में शामिल होने के लिए प्रत्येक मामलों में निर्णय हेतु अपने विवेकाधिकार से उनको यात्रा खर्च मंजूर कर सकते हैं।

4.4 : केन्द्र समय-समय जारी किये गये भारत सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों एवं पूर्व सेवा पुरुषों के पक्ष में पदों के आरक्षण के लिए आवश्यक प्रावधान करेगा।

4.5 : सभी नयी नियुक्तियाँ केन्द्र द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से एक नियुक्त व्यक्ति द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्य-भार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी।

5. कर्मचारी की नियुक्ति

5.1 : नियुक्ति पेशकश की जाएगी।

(क) शैक्षणिक कर्मचारी के लिए :

1. पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए एक अनुबंध जिसमें एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि भी शामिल होगी।

अथवा

2. 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सतत नियुक्ति।

(ख) सभी अन्य श्रेणियों के लिए :

1. शासी निकाय द्वारा तय किये गये एक वर्ष से 2 वर्ष की अवधि के साथ 58 वर्ष की उम्र (ग्रुप 'डी' के लिए 60 वर्ष) पूर्ण होने तक सतत् नियुक्ति।
- 5.2 नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक के आधार पर परिवीक्षाधीन अवधि का विस्तार या बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 वर्ष से ज्यादा नहीं।
- 5.3 : अनुबंधीय नियुक्ति को एक नये अवधि के द्वारा नये सिरे से या 5.1 (क) (ख) के अनुसार सतत् नियुक्ति के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है।
- 5.4 : शासी निकाय अपने विवेक के आधार पर निदेशक के अनुबंध का नवीनीकरण या सेवानिवृत्ति की आयु तक विस्तार प्रदान कर सकता है। अपवादी परिस्थितियों में, सेवानिवृत्ति की आयु से ज्यादा होने के बाद भी निदेशक को सेवा विस्तार प्रदान किया जा सकता है।
- 5.5 : सभी नियुक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान एक महीने के नोटिस पर समाप्त कर दिया जाएगा।
- 5.6 : शासकीय निकाय किसी कर्मचारी को केव्वल की सेवा से स्थायी रूप से शारीरिक अथवा मानसिक अपंगता के कारण आगे सेवा में अयोग्य होने पर तीन महीने की सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्ति कर सकती है, यदि केव्वल द्वारा नियुक्त चिकित्सकीय परिषद् द्वारा ऐसा प्रमाणित किया जाता है। इस संबंध में शासी निकाय का निर्णय अंतिम तथा संबंधित कर्मचारी द्वारा बाह्यकारी होगा। शासी निकाय तीन महीने की सूचना के बदले में तीन महीनों का वेतन के भुगतान की स्वीकृति दे सकती है।
- 5.7 : शासी निकाय केव्वल में अवैतनिक संकाय की नियुक्ति कर सकती है। अवैतनिक संकाय में अवैतनिक प्रोफेसर एवं अवैतनिक फेलो समिलित होंगे। अवैतनिक प्रोफेसर तथा फेलो के नाम शैक्षणिक कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित किये जायेंगे तथा निदेशक द्वारा शासी निकाय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कि इनका चयन करेंगे। अवैतनिक प्रोफेसर एवं फेलो के कुछ कर्तव्य होंगे तथा वे अंड-15 में वर्णित कुछ सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे।
- 5.8 : निदेशक की संस्तुति पर शासी निकाय, एक प्रोफेसर को, जो केव्वल में कई वर्षों के विशिष्ट सेवा के बाद केव्वल से सेवानिवृत्ति हो गये हैं, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर के रूप में मनोनीत कर सकता है।
- 5.9 : अवकाश प्राप्त प्रोफेसर शासी निकाय द्वारा समय-समय पर तय किये गये विशेषाधिकार का आनंद ले सकेंगे।

6. नियुक्ति हेतु चयन समिति

निदेशक की नियुक्ति :

- 6.1 : शासी निकाय द्वारा स्थापित खोज सह चयन समिति के संस्तुति के आधार पर निदेशक शासी निकाय के निमंत्रण द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

उक्त समिति में शामिल होंगे-

शासी निकाय के अध्यक्ष अध्यक्ष

10.4 : साधारणतः छुट्टी उस तारीख से प्रारंभ होगी, जिस दिन यह वास्तविक रूप से उपभोग की गई है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होगी।

शनिवार, रविवार एवं अवकाश दिनों की छुट्टी के पूर्व अथवा पश्च जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक प्रकार की छुट्टी के अधीन निर्धारित छुट्टी पर अनुपस्थिति की सीमा का अनुपालन किया गया हो।

10.5 : जब कोई कर्मचारी किसी समान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा तुलना योग्य संगठन से इस केन्द्र में कार्यभार ग्रहण कर सकता है, तो इस प्रकार की कार्यग्रहण की तारीख से तत्काल पूर्व की तारीख में उन्हें क्रेडिट की गई अर्जित छुट्टी को अग्रेषित किया जाएगा तथा इन्हें केन्द्र में उनके छुट्टी लेखा में क्रेडिट किया जाएगा बशर्ते कि केन्द्र द्वारा पूर्व नियोक्ता से छुट्टी संग्रहण की निर्धारित सीमा एवं वेतन के प्रति अवदानों की वसूली का पालन किया जाता है।

10.6 : छुट्टी निम्नलिखित रूप से श्रेणीकृत की जा सकती है :

- क) आकस्मिक छुट्टी
- ख) विशेष आकस्मिक छुट्टी
- ग) अर्ध-वेतन छुट्टी
- घ) परिणत छुट्टी
- ड) असाधारण छुट्टी
- च) मातृत्व छुट्टी
- छ) अस्पताल/विशेष अपंगता छुट्टी
- ज) संग्रेध छुट्टी
- झ) अदेय छुट्टी
- ग) सबैटिक छुट्टी
- ठ) अध्ययन छुट्टी
- ठ) विशेष छुट्टी

क) आकस्मिक छुट्टी :

कार्मिक सदस्यों को देय आकस्मिक छुट्टी किसी कैलेण्डर वर्ष में 12 दिनों की होगी, बशर्ते कि एक समय पर 8 दिनों से अधिक की स्थीकृति नहीं दी जाएगी। आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी के साथ-साथ ली जा सकती है, परन्तु अन्य प्रकार की किसी छुट्टी के साथ यह नहीं दी जा सकती है।

यह शर्त वहाँ लागू नहीं होता है, जहाँ इस प्रकार के कार्मिक पूर्णरूपेण तथा स्थायी रूप से अगली सेवा हेतु अशक्त घोषित किए गए हैं।

घ) परिणत छुट्टी :

किसी कार्मिक सदस्य को परिणत छुट्टी की स्वीकृति, निदेशक अथवा उस कार्मिक सदस्य, जिन्हें निदेशक द्वारा शक्ति का प्रत्योयोजन किया गया है, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी।

1. देय कुल अधैरैतनिक छुट्टी के आधे से अधिक परिणत छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं दी जाएगी।
2. अधिकतम 90 दिनों तक की परिणत छुट्टी पूर्ण सेवाकाल के दौरान बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार उन स्थितियों में ली जा सकती है, जहाँ इस प्रकार की छुट्टी का उपभोग वैसे अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए ली जाती है, जो कि केब्ड के हित में प्रमाणित की गई हो।
3. अधिकतम 60 दिनों की परिणत छुट्टी मातृत्व की निरंतरता के साथ ली जा सकती है।
4. परिणत छुट्टी की स्वीकृति तभी दी जाएगी, जबकि छुट्टी स्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी सन्तुष्ट हो जाते हैं कि छुट्टी की अवधि की समाप्ति के पश्चात कार्मिक के काम पर लौटने का पर्याप्त संभावना है। अतः यह छुट्टी सेवानिवृत्ति की तैयारी हेतु स्वीकृत नहीं की जा सकती है।
5. यदि परिणत छुट्टी ली जाती है, तो उपभोग किए गए दिनों की संख्या अधैरैतनिक छुट्टी लेखा से काट दी जाएगी।

इ) अर्जित छुट्टी :

1. अर्जित छुट्टी प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को 15 दिनों के समरूप दर से अग्रिम रूप से क्रेडिट की जाएगी। इस क्रेडिट में से, अधिकतम 15 दिनों की शर्त पर, पूर्ववर्ती वर्ष में उपभोग किए गए असाधारण छुट्टी एवं / अथवा डाइज नान की अवधि का 1/10वाँ भाग काट लिया जाएगा। इस प्रकार की कठौती पूर्ववर्ती छमाही में उपभोग किए गए असाधारण छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य छुट्टी के संबंध में नहीं की जाएगी।
2. कार्मिक की नियुक्ति जिस छमाही में हुई है, उसके लिए यह क्रेडिट सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेन्डर माह हेतु 2.5 दिनों की दर से किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा उस कैलेन्डर छमाही में सेवा देने की संभावना रहती है, जिसमें उसकी नियुक्ति हुई है।
3. जिस छमाही में कोई कार्मिक सेवा निवृत्त होने वाला है अथवा पदत्याग करता है, उसमें यह क्रेडिट सेवा निवृत्ति/पदत्याग की तारीख तक उस छमाही में प्रत्येक पूर्ण कैलेन्डर माह के लिए 2.5 दिनों की दर से दिया जाएगा।
4. जिस छमाही में किसी कार्मिक को सेवा से हटाया जाता है/मृत्तल किया जाता है अथवा सेवा के दौरान उनकी मृत्यु होती है, उसमें यह क्रेडिट उन्हें हटाए गए/मृत्तल किए गए/मृत्यु के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक प्रत्येक पूर्ण कैलेन्डर माह के लिए 2.5 दिनों की दर से दिया जाएगा।

5. यदि कोई कार्मिक किसी कैलेंडर वर्ष के मध्य में सेवानिवृत होता है। पदत्याग करता है। हटाया जाता है। मुअन्तर दिया जाता। मृत्यु को प्राप्त होता है, तथा उस छमाही के दौरान कोई असाधारण छुट्टी का उपभोग किया है, तो अर्जित छुट्टी क्रेडिट में ऐसी असाधारण छुट्टी के $1/10वाँ$ भाग की दर से कठौती की जाएगी तथा छुट्टी लेखा नियमित दिया जाएगा।
6. अर्जित छुट्टी का क्रेडिट दिए जाने के दौरान एक दिन के किसी अंश को न्यूनतम दिन में पूर्णांकित किया जाएगा।
7. अर्जित छुट्टी का संग्रहण 240 दिनों तक किया जा सकता है।
8. अर्जित छुट्टी की स्वीकृति एक समय में अधिकतम 120 दिनों के लिए ली जा सकती है।
9. सेवानिवृत्ति पूर्व तैयारी हेतु छुट्टी के मामले में अर्जित छुट्टी एक बार में 240 दिनों तक ली जा सकती है।

च) अतिविशेष छुट्टी :

1. जब कोई कार्मिक सदस्य किसी विदेशी संस्थान में कोई शैक्षणिक कार्य करने के लिए छुट्टी हेतु आवेदन करता है, तथा यह माना जाएगा कि इस प्रकार का कार्य केन्द्र के हित में होगा, तो उन्हें एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक अतिविशेष छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि उनके सेवाकाल में छुट्टी की कुल अवधि पाँच वर्षों से अधिक न हो।
2. इस प्रकार से उपभोग की गई छुट्टी की गणना वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. केन्द्र के कार्मिक द्वारा विदेशी कार्यभार पर व्यतित की गई अवधि की गणना पेंशन आदि के उद्देश्य से 'अर्हक सेवा' के रूप में की जा सकती है, बशर्ते कि विदेशी कार्यभार पर व्यतित की गई अवधि हेतु छुट्टी वेतन तथा पेंशन अवदान विदेशी नियोक्ता अथवा कार्मिक द्वारा वहन किया जाएगा।
4. (क) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अतिविशेष छुट्टी की गणना पेंशन हेतु 'अर्हक सेवा' के रूप में की जाएगी।
(ख) निजी कारणों से ली गई अति विशेष छुट्टी की गणना 'अर्हक सेवा' के रूप में नहीं की जाएगी।

छ) मातृत्व छुट्टी :

1. मातृत्व छुट्टी की स्वीकृतिकिसी महिला कार्मिक को गर्भधारण के मामले में इस प्रकार की छुट्टी की स्वीकृति की तारीख से 90 दिनों की अवधि हेतु दी जा सकती है।
2. कृत्रिम गर्भपात सहित गर्भ निष्फलन/गर्भपातों के मामले में यह छुट्टी दो सप्ताह से अधिक की अवधि हेतु नहीं दी जा सकती है। इन मामलों में छुट्टी आवेदन किन्हीं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र के द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जाएगी। यह छुट्टी छुट्टी लेखा से नहीं काठी जाएगी तथा इसकी गणना वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु की जाएगी।

- मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति केन्द्र में सम्पूर्ण सेवावधि के दौरान दो बार से अधिक नहीं प्रदान की जाएगी। मातृत्व छुट्टी संकटापन्ज गर्भपात हेतु देय नहीं है।
- किसी महिला कार्मिक द्वारा बच्चा गोद लिए जाने पर, देय छुट्टी में से किसी प्रकार की छुट्टी (जिसमें अदेय छुट्टी तथा बिना किसी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अधिकतम 60 दिनों त की परिणत छुट्टी सम्मिलित है) में से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस अवधि तक जबकि बच्चा एक वर्ष की आयु पुरी करता है, जो भी पहले हो, तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। तथापि, यह सुविधा उन मामले में देय नहीं होगी, यदि गोद लेने के समय उसका दो अपना जीवित बच्चे हों।

(ज) **विशेष अपंगता छुट्टी :**

- केन्द्र में नियुक्त वे कार्मिक सदस्य, जो कि कार्यालयी कार्य निष्पादन में लगे चोट अथवा इसके परिणाम स्वरूप अथवा किसी विशेष कार्य के निष्पादन में हुई बीमारी के कारण अपंग हो जाते हैं, जो कि बीमारी के कारण अपंगता में वृद्धि करने में प्रभावकारी होता है अथवा उनके द्वारा घटित पदों के साथ संबद्ध साधारण जोखिम से इतर कोई चोट पहुँचाता है, को विशेष अपंगता छुट्टी की स्वीकृति बीमारी अथवा चोट की इलाज के दौरान दी जा सकती है, यदि ऐसी प्रकट बीमारी अथवा चोट सीधे तौर पर उनके कार्यों के दौरान उपजे जोखिम से संबंधित रहता है तथा यह मात्र लापरवाही अथवा उतावलेपन के कारण न हुआ हो, जब तक कि अपंगता का प्रकटीकारण उस घटना के 3 महीने के अंदर हुआ हो, जिसके कारण यह अपंगता हुई है तथा अपंग कर्मचारी द्वारा इसे सक्षम प्राधिकारी की दृष्टि में लाने के लिए अत्यधिक शीघ्रता बरती गई हो। छुट्टी की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी, यदि अपंगता के कारण ये संतुष्टि होती है, उन मामलों में स्वीकृति दी जाने वाली छुट्टी की अनुमति दे सकते हैं, उन मामलों में स्वीकृति दी जाने वाली छुट्टी की अनुमति दे सकते हैं, जहाँ अपंगता का प्रकटीकरण इनके कारणों वाली घटना के घटने के 3 महीने बाद होती है।
- स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए तथा यह किसी भी मामले में 24 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विशेष अपंगता छुट्टी दूसरी प्रकार की अन्य छुटियों के साथ भी सम्बद्ध की जा सकती है। इस प्रकार की छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन, ऐसी छुट्टी की अवधि के प्रथम 120 दिनों के लिए, जिसमें इस प्रकार से स्वीकृत छुट्टी की अवधि सम्मिलित है, अर्जित छुट्टी के दौरान दिए जाने वाले छुट्टी वेतन के समान होगा।
- इस प्रकार की छुट्टी की शेष अवधि के लिए छुट्टी वेतन अर्ध वैतनिक छुट्टी के दौरान दिए जाने वाले छुट्टी वेतन के समान होगा।

(झ) **अस्पताल छुट्टी :**

- छुट्टी की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित को अस्पताल छुट्टी की स्वीकृति दे सकते हैं-
- क) चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी एवं

पश्चिम बंगाल के किसी अन्य शहर में रुपये 30/-

ख) **विशेष नर्सिंग :**

निदेशक स्वास्थ्य सेवायें/स्थानीय नर्सिंग एसोसियेशन द्वारा विदित दरें।

ग) **परामर्श शुल्क :**

पहले रुपये 40/- तथा परवर्ती परामर्श रुपये 20/-

घ) **मुख्य शल्य क्रिया : 1200/- रुपये**

लघु शल्य क्रिया : 600/- रुपये

11.5 : विशेष परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशक की सलाह पर कुछ जटिल बीमारियों के संबंध में जैसे- किडनी का प्रत्यार्पण, ब्रेन का आपरेशन, हार्ट ब्लाकिंग, गंभीर आँख की बीमारी इत्यादि के उपचार का प्रतिपूर्ति कलकत्ता के बाहर किया जा सकता है।

विशेष परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवा के निदेशक पं० बंगाल सरकार की सलाह पर उपचार का प्रतिपूरण कलकत्ता के बाहर कुछ गंभीर बीमारियाँ जैसे किडनी का प्रत्यार्पण, सिर का आपरेशन, सीने का ब्लाकिंग, आँख का गंभीर बीमारी इत्यादि किया जा सकता है।

11.6 : आँख के चश्मा अथवा कृत्रिम दंतावली की खरीद हेतु किया गया व्यय केब्द्र वहन नहीं करेगी।

11.7 : केब्द्र द्वारा उक्त तिथि को अधिसूचित किये जाने की तिथि से इसे लागू समझा जाय।

12. आवरण, अनुशासन, दंड तथा अपील

12.1 : अनुशासनात्मक तथा अपीलिय प्राधिकारी की नियुक्ति :

पदों का विवरण	अनुशासनात्मक प्राधिकारी की नियुक्ति	अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति
1) निदेशक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रशासनिक अधिकारी।	शासी निकाय	शासी परिषद् द्वारा निर्मित कोई भी आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं होगा।
2) अकादमिक कर्मचारी के सभी अन्य सदस्य, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा	निदेशक	शासी निकाय

बचाव में लिखित विवरण निर्धारित तारीख के अंतर्गत जमा करने को भी कहा जाएगा। उन्हें यह भी कहा जाएगा कि उनके द्वारा आरोपों अथवा इनमें से किन्हीं मदों को इक्कार किए जाने के मामले में उन दस्तावेजों का उल्लेख करना चाहिए तथा उन साक्षियों का नाम दिया जाना चाहिए, जिनके द्वारा वह अपने तर्क को धारित करने का प्रस्ताव करता है तथा उन्हें इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने के लिए इच्छुक है।

- (x) कर्मचारी का लिखित विवरण प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस पर विधिवत् विचार किया जाएगा। यदि आरोपों अथवा इनमें से किसी मद को प्रथम दृष्टया स्थापित होता हुआ पाया जाता है, तो इनके द्वारा एक जाँच अधिकारी अथवा एक जाँच समिति की नियुक्ति की जाएगी, जो कि आरोपों की प्रकृति पर आधारित होगा, इसके साथ ही एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। जबकि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति केब्र के कर्मचारियों के बीच से की जाएगी, परन्तु जाँच अधिकारी अथवा जाँच समिति की नियुक्ति केब्र के विवेकाधिकार पर आश्रित होगी। इसकी नियुक्ति केब्र के कर्मचारियों के बीच से अथवा बाहर से की जा सकती है। दोषी कर्मचारी को जाँच में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध किया जाएगा, जहां वह अपने आचरण की व्याख्या, अपना बचाव, साक्ष्यों से प्रति प्रश्न, यदि वह चाहता हो, कर सके साथ ही अपने स्वयं के बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। तथापि, यदि बचाव पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो एक पक्षीय जाँच का संचालन किया जाएगा, जिसमें पद्धतियों का पूर्णरूपण अनुसरण किया जाएगा।
- (g) दोषी कर्मचारी को अपने बचाव के उद्देश्य से केब्र के अन्य कर्मचारी की सहायता लेने की अनुमति दी जाएगी, यदि वह ऐसा चाहता हो, परन्तु इस उद्देश्य के लिए वह किसी कानूनी व्यक्ति की सेवा तब तक नहीं ले सकता है, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई कानूनी व्यक्ति नहीं होता है।
- (h) जाँच अधिकारी/जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा तथा अनुशासनिक प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों अथवा आरोप के मदों के संबंध में दोषों पर इनकी राय/निष्कर्ष सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित किया जाएगा-
 1. आरोपों की मदों एवं कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोपण का विवरण।
 2. आरोपों के प्रत्येक मदों के संबंध में कर्मचारी द्वारा बचाव।
 3. आरोप के प्रत्येक मदों के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन।
 4. आरोप के प्रत्येक मद पर निष्कर्ष तथा इनके कारण।
 5. बचाव पक्ष का लिखित विवरण, यदि कोई हो, जिसे कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।
 6. सांय के दौरान प्रस्तुत किए गए मौसिक/दस्तावेजीय साक्ष्य।
 7. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा दोनों के द्वारा जाँच के दौरान भरा गया लिखित सार, यदि कोई हो।

3. जहाँ किसी निलंबनाधीन कर्मचारी पर बरखास्तगी, सेवा से बाध्यकर सेवानिवृत्ति पर हटाये जाने का दण्ड लगाया जाता है, अपील में अथवा इन नियमों के अधीन समीक्षा पर होने के कारण अलग रखा जाता है तथा इस मामले को अगली छानबीन अथवा कार्रवाई अथवा किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ वापस लौटाया जाता है, हटाये जाने, बाध्यकर सेवानिवृत्ति की मूल आदेश की तारीख से लागू मानी जाएगी तथा अगले आदेश तक यह लागू रहेगा।
4. जहाँ किसी कर्मचारी पर लगाया गया सेवा से बरखास्तगी अथवा बाध्यकर सेवानिवृत्ति पर हटाए जाने का दण्ड अलग रखा जाता है अथवा न्यायालय एवं अनुशासनिक प्राधिकारी के किसी निर्णय द्वारा अथवा न्यायालय एवं अनुशासनिक प्राधिकारी के किसी निर्णय द्वारा अथवा इनके परिणामस्वरूप रद्द घोषित किया जाता है अथवा मान लिया जाता है, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उनके विरुद्ध उनपर लगाए गए अभियोगों पर, अगले पूछताक्ष/जांच का निर्णय लिया जाता है, जिसके आधार पर बरखास्तगी, हटाए जाने अथवा बाध्यकर सेवानिवृत्ति का दण्ड मूल रूप से लगाया गया था। उस कर्मचारी को बरखास्तगी, हटाए जाने अथवा बाध्यकर सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया गया माना जाएगा, तथा अगले आदेश तक निलंबन स्थिति की निरंतरता बनी रहेगी।

बशर्ते कि इस तरह की अगली जांच का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी स्थिति नहीं बनती है जहाँ किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुणों पर विचार किए बिना शुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर कोई आदेश पारित कर दिया जाता है।

- क) इस नियम के अंतर्गत पारित किया गया अथवा पारित किया हुआ माना गया कोई निलंबन आदेश जब तक लागू रहेगा जब तक कि इसमें संशोधन अथवा प्रतिसंहरण ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।
- ख) जहाँ कोई कर्मचारी निलंबित किया जाता है अथवा निलंबन किया गया माना जाता है किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबद्ध अथवा अन्यथा, तथा उस निलंबन की निरन्तरता के दौरान कोई अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ होती है, तो इन्हें निलंबित करने के लिए सक्षम अधिकारी यह निर्देशित कर सकते हैं कि कर्मचारी के निलंबन की निरंतरता तब तक बनी रहेगी जब तक कि ऐसे किसी अथवा सभी कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती हैं, इसके लिए उन्हें कारणों का लिखित अभिलेख रखना होगा।
- ग) जहाँ इस नियम के अंतर्गत कोई निलंबन आदेश पारित किया गया है अथवा पारित किया गया माना जाता है, तो इसे इस आदेश को पारित करने अथवा पारित किया हुआ माने जाने के उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा अथवा उस प्राधिकारी द्वारा जिनके अंतर्गत वर्तमान प्राधिकारी अधिनस्थ है, किसी भी समय संशोधित अथवा प्रतिसंहरित किया जा सकता है।

- 12.8** गम्भीर कदमावर की किसी कार्रवाई अथवा अनुशासन भंग करने के गम्भीर मामले के लिए आरोपित किसी कर्मचारी को भी, अन्वेषण लंबित रहने तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है। किसी कर्मचारी को उस स्थिति में भी निलंबित किया जा सकता है जहाँ, अनुशासनिक प्राधिकारी के अभिमत में, केन्द्र परिषद में उनकी उपस्थिति से पूर्वाग्रही होने की संभावना रहती है अथवा अन्यथा अन्वेषण, जांच अथवा सामाज्य कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

निलंबनाधीन कर्मचारी को केवल सरकार के आचरण नियमावली द्वारा मार्गदर्शनों के अनुसार जीवन यापन भत्ता का भुगतान अधिकृत होगा।

12.9 पुनर्नियोजन :

क) जहां किसी कर्मचारी का निलंबन और व्यायपूर्ण ठहराया जाता है अथवा पूर्णतः व्यायोचित नहीं माना जाता है अथवा जब किसी कर्मचारी की पुर्नबहाली की जाती है, जिन्हें सेवा से बरखास्त अथवा हटाया गया अथवा निलंबित किया गया था, तो दण्ड निश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निलंबन के कारण कार्यस्थल से उनकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए निम्नलिखित की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं-

1. यदि उन्हें सम्मानपूर्वक दोषमुक्त किया जाता है, तो उन्हें बरखास्त, हटाए जाने अथवा निलंबन नहीं किए जाने की स्थिति में देय पूर्ण वेतन तथा ऐसे किसी भत्ते, जिन्हें वह अपनी बरखास्तगी, हटाए जाने अथवा निलंबन के पूर्व वह प्राप्त कर रहा था।
2. यदि अन्यथा, ऐसे वेतन एवं भत्ते का कोई अंश जैसा कि दंडाधिकारी प्राधिकारी निर्धारित करता है।

ख) खण्ड (क) के अंतर्गत पड़ने वाले किसी मामले में, कार्यस्थल से अनुपस्थिति की अवधि कार्यस्थल पर बिताई गई अवधि मानी जाएगी। परन्तु खण्ड (ख) के अंतर्गत पड़ने वाले किसी मामले में अनुपस्थिति की अवधि को तबतक ऐसा नहीं माना जाएगा, जबतक कि दण्ड देने वाले प्राधिकारी ऐसा निर्देश नहीं देते हैं।

ग) सेवा से बरखास्त किए गए अथवा हटाए गए कर्मचारियों द्वारा रिक्त पदों को इस शर्त पर बाद में भरा जाएगा कि इस प्रकार की गई व्यवस्था को बरखास्त कर्मचारी अथवा सेवा से हटाए गए किसी कर्मचारी की पुर्नबहाली के पश्चात प्रतिवर्तित की जाएगी।

12.10 पुलिस अथवा जेल हिरासत के दौरान अनुपस्थिति :

क) यदि किसी कर्मचारी को अपराधिक दुर्घटवहार के कारण सजा मिलती है अथवा किसी आपराधिक आरोप पर पुलिस अथवा जेल हिरासत में होने के कारण अपने कार्यभार से अनुपस्थिति रहता है, अथवा किसी गैर कानूनी हड़ताल अथवा किसी ऋण के लिए मामले के अतिरिक्त अन्य किन्हीं गतिविधियों के लिए सुरक्षात्मक नजरबंदी अधिनियम के अंतर्गत जेल में होने के कारण वह अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे सजा अथवा अनुपस्थिति की अवधि के लिए उन्हें तब तक कोई वेतन अथवा छुट्टी वेतन आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबतक कि उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण की समाप्ति नहीं हो जाती है अथवा नजरबंदी अथवा सिविल जेल से उनकी विमुक्ति नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में वह इन विनियमावली में यथा उपबंधित जीवन यापन भत्ते का लाभ अपने निलंबन की सम्पूर्ण अवधि के लिए पाने का योग्य होगा। जहां कर्मचारी को आरोप से अंतिम रूप से दोषमुक्त कर दिया जाता है अथवा आपराधिक कार्यवाहियों से विमुक्त किया जाता है, जैसा कि मामला हो, कार्यस्थल से उनकी अनुपस्थिति की अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कार्यस्थल पर बिताई गई अवधि अथवा छुट्टी की अवधि के तौर पर मानी जाएगी तथा इस अवधि के लिए उनका वेतन तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

ख) किसी कर्मचारी को छुट्टी की स्वीकृति उस समय तक प्रदान नहीं की जाएगी, जबकि वह निलंबनाधीन है अथवा पुलिस अथवा जेल हिरासत में है, अन्यथा उनके निलंबन की अवधि की परिसमाप्ति होने पर अथवा उन कार्यवाहियों की परिसमाप्ति होने पर, जिनके संबंध में वह पुलिस अथवा सिविल जेल हिरासत में है, उन्हें छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

12.11 अपील :

- क) सभी कर्मचारियों को अपने विरुद्ध पारित किए गए दण्ड के आदेश के विरुद्ध ऐसे उच्चतर प्राधिकारी / प्राधिकारियों के समक्ष अपील दर्ज करने का अधिकार होगा, जैसा कि निर्धारित किया गया है। तथापि, किसी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह अपील उनके विरुद्ध जारी किए गए आदेश की प्रति अपीलकर्ता को प्राप्त होने की तारीख से पैंतालिस दिनों की अवधि के अंदर दर्ज न की गई हो।
- ख) बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी किसी अपील पर उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी विचार कर सकता है, यदि वे इस बात से संतुष्ट होते हैं कि अपीलकर्ता के पास समय से अपील दर्ज न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण है।
- ग) **अपील पर आदेश** - अपील पर विचार करने पर अपीलीय प्राधिकारी लगाए गए दण्ड की पुष्टि, कमी, अभिवृद्धि कर सकते हैं अथवा इसे रद्द कर सकते हैं अथवा मामले को अगली जांच हेतु वापस लौटा सकते हैं, जैसा कि उचित प्रतीत होता है। यदि इस प्रक्रिया में मुख्य दण्डों में से कोई एक प्रस्तावित किया गया है, जहाँ पूर्व रूप से जाँच न की गई हो तो अंतिम आदेशों के पारित किए जाने के पूर्व ऐसी जाँच गठित कर ली जाएगी।

पुनर्विक्षण - यहाँ तक की अपील के निपटान के पश्चात भी, अथवा अपीलीय सुविधा का उपभोग करने में असफल रहने पर भी किसी पीड़ित कर्मचारी के लिए पुनर्विक्षण के तौर पर अगली विभागीय सुविधा उपलब्ध होगी।

पुनर्विक्षण करने के अधिकार केब्द्र के साथ निहीत है।

पुनर्विक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अपीलीय प्राधिकारी के उन मामलों को छोड़कर जहाँ कि परिशोधन के लिए प्रस्तावित आदेश की तारीख से छः महीने के अंदर परिशोधित आदेश पारित किया जाना है।

पुनर्विक्षण के लिए आवेदन पर विचार उसी प्रकार से किया जाएगा, जैसा कि नियमों के अधीन किसी अपील पर किया जाना है।

13. केन्द्र की समितियाँ

(क) वित्त समिति :

निम्नलिखित संगठन के साथ एक वित्त समिति गठित की जाएगी :

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. निदेशक | - | अध्यक्ष |
| 2. वित्तीय सलाहकार, डीएसटी अथवा उनके द्वारा नामित | - | सदस्य |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| 4. शैक्षणिक कार्यक्रम कार्यक्रम सलाहकर समिति की एक नोमिनी | - | सदस्य |
| 5. शासकीय निकाय की एक नोमिनी | - | सदस्य |

(ख) वित्तिय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे—

1. नये मांग हेतु सभी प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा इसकी संतुष्टी शासी निकाय को करेगी।
2. केन्द्र के बजट अनुमान पर विचार करेगी। बजट शीर्ष दिखाएगी
 - (क) पिछले वर्ष की वास्तविक व्यय
 - (ख) चालू वर्ष के लिए अनुमान करेगी।
 - (ग) चालू वर्ष में सितंबर माह के अंत तक वास्तविक व्यय।
 - (घ) चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तथा
 - (ड) अगलेकार्य के लिए बजट अनुमान।
3. जैसे आवश्यकता पड़ने पर बजट वर्ष के दौरान निधि का पुनः स्वायतीकरण प्राधिकृत किया जाएगा।
4. उन्हें भेजे गए उक्त मामले पर विचार किया जाएगा।
5. खाते की वार्षिक विवरण पर विचार किया जाएगा तथा उस लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा शासकीय निकाय की उस पर संस्तुति करेगा।

(ग) अध्यक्ष द्वारा बैठक की तिथि नियत करने से 15 दिन पूर्व सूचना तथा बैठक हेतु कार्यसूची जारी करनी होगी।

13.2 भवन समिति :

उसमें एक भवन समिति भी होगी जिसका गठन इस प्रकार होगा-

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|---------|
| (क) | निदेशक | - | अध्यक्ष |
| (ख) | सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अथवा | | |

	उसके नामित लेकिन अधीक्षक अभियंता	
	से रैक से नीचे के अधिकारी नहीं	- सदस्य
ग)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक नामांकित	- सदस्य
घ)	एक वस्तुकार अथवा एक सम्मानीय सिविल अभियंता	- सदस्य
ङ)	प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्य सचिव

भवन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे-

- क) सभी प्रमुख/लघु पूँजी कार्य पर विचार करेंगे तथा समुचित संस्तुति देंगे।
- ख) केब्ड के मुख्य निर्माण कार्य के लिए एक वास्तुकार/वास्तुकार की तालिका की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है।
- ग) मुख्य कार्य के योजना के तकनीकी संवीक्षा, डिजाइन, टेंडर, मूल्य का अनुमान इत्यादि गठन करना।
- घ) टेंडर की स्वीकार्य की संस्तुति देना तथा कार्य हेतु दिशा निर्देश देना।
- ङ) टेंडर द्वारा असम्मिलित दरें संस्तुति करना।
- च) निर्माण कार्य से संबंधित अन्य दूसरे कार्य करना तथा शासकीय निकाय द्वारा उसे भेजे गए अनुसार केब्ड के परिसर का निकाय करना।

13.3 क्रय समिति :

यहाँ पर एक क्रय समिति का गठन निम्नलिखित को लेकर किया जाएगा।

- क) निर्देशक - अध्यक्ष
- ख) एकेडमिक कर्मचारी का एक सदस्य - सदस्य
- ग) प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य सचिव

क्रय समिति क्रय के मामले, निम्नलिखित सामान्यतः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के प्रक्रिया से संबंधित मामले में एक दिशा निर्देश का ढाँचा तैयार करेगी। यह दिशा निर्देश वित्तीय समिति के समक्ष रखने से पूर्व तथा शासी निकाय के पास इसके अनुमोदन के लिए रखेगी। केब्ड के सभी क्रय इसी दिशा निर्देश के अंतर्गत तैयार ढाँचा के मध्य क्रय समिति द्वारा किया जाएगा।

13.4 अकादमिक कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन निम्न अनुसार किया जाएगा-

- क) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा एक प्रतिष्ठित - अध्यक्ष
- वैज्ञानिक को नामित किया जाएगा

- ख) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा चार प्रतिष्ठित - अध्यक्ष वैज्ञानिक को नामित किया जाएगा
- ग) एस0एन0 बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केन्द्र - सदस्य के निदेशक
- घ) केन्द्र के प्रध्यापक वर्ग से एस0एन0 बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केन्द्र के निदेशक द्वारा चार प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को नामित किया जाएगा - सदस्य अकादमिक कार्यक्रम सलाहकार समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

समिति की शर्तों का संर्भ होगा-

- क) अकादमिक गतिविधियों के वार्षिक कार्यक्रम पर विचार करने सहित-
1. सेमिनार, संगोष्ठी, अत्यकालीन पाठ्यक्रम तथा बैठक चर्चा का आयोजन करना।
 2. केन्द्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विनिमय तथा सहयोगी कार्यक्रम करना।
- ख) केन्द्र के सभी अकादमिक कार्यक्रम को सूचीकरण, संशोधन, सुधार के लिए शासी निकाय को संस्तुति करना तथा उस पर रिपोर्ट प्राप्त करना।
- ग) अन्य दूसरे मामले जो उन्हें भेजे गये हो, उस पर विचार करना। सुविधा के लिए अकादमिक सलाहकार समिति को लघु अनुसंधान सलाहकार समिति में विभाजित किया जा सकता है। इन समितियों की यथावश्यक परन्तु कम से कम वर्ष में एक बार बैठक आयोजित की जाती है।

14. उपदान (ग्रेच्युटी)

- क) ‘उपदान’ केन्द्र के पूर्णकालिक कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-
1. आकर्षिक एवं गैर-नियमित कर्मचारीगण
 2. प्रशिक्षुगण एवं प्रशिक्षणाधीन कर्मचारीगण
- ख) इसे निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रदान किया जाएगा-
1. पद की परिसमाप्ति पर कार्यभार मुक्त किए जाने पर
 2. शारीरिक अथवा मानसिक कमज़ोरियों के कारण स्थायी अपंगता होने पर
 3. केन्द्र के उपनियमों के अंतर्गत बहुवार्षिकता प्राप्त करने पर, एवं

4. कम से कम 5 वर्षों की सेवा के पश्चात कार्यमुक्त किए जाने पर।

ग) सेवा के दौरान मृत्यु के मामले को छोड़कर 5 वर्षों की अर्हता सेवा के पश्चात उपादान देय होगा।

अर्हता सेवा का अर्थ केब्ड में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके कार्मिकों द्वारा केब्ड को प्रदान की गई सभी सेवाएँ होगी, इसमें प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षण की अवधि सम्मिलित नहीं होगी। छुट्टी वेतन के बिना अति विशेष छुट्टी पर बिताई गई अवधि, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी की अवधि को छोड़कर, ‘अर्हम सेवा’ में शामिल नहीं की जाएगी, जबतक कि प्रशासन द्वारा इसके विपरित अपने निर्णयों का उल्लेख नहीं किया जाता है।

उपादान सेवाकाल की प्रत्येक पूर्ण छमाही हेतु मासिक परिलक्षियों के एक चौथाई राशि के बराबर होगा, बशर्ते कि यह अधिकतम परिलक्षियों का 16 गुना अथवा ₹0 100,000 जो भी कम हो, होगा।

घ) मृत्यु के मामले में उपादान की राशि की गणना उपरोक्त 14.3 अथवा निम्नलिखित यथा परिकलित, जो भी अधिक हो, की जाएगी-

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. प्रथम वर्ष की सेवा के दौरान | - | 2 माह की परिलक्षियाँ |
| 2. एक वर्ष के पश्चात परन्तु 5 वर्ष की सेवा के पूर्व | - | 6 माह की परिलक्षियाँ |
| 3. 5 वर्ष अथवा अधिक की सेवा पूर्ण किए जाने के पश्चात, परन्तु 20 वर्ष से कम | - | 12 माह की परिलक्षियाँ |
| 4. 20 वर्ष अथवा अधिक की सेवा पूर्ण करने पर | - | अर्हता सेवा की प्रत्येक |

पूर्ण छमाही अवधि हेतु मासिक परिलक्षियों का आधा, बशर्ते कि यह अधिकतम परिलक्षियों का 33 गुना होगा, साथ ही मृत्यु उपादान की राशि किसी भी स्थिति में ₹0 एक लाख से अधिक नहीं होगी।

इ) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा विहिन प्रपत्र में अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों पर सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में अथवा सेवा का परित्याग करने पर उपदान प्राप्त करने का अधिकार सौंपते हुए नामन-पत्र दिया जाएगा, यह उपदान के भुगतान के पूर्व किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाले भाग का उल्लेख किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ कर्मचारी को कोई परिवार नहीं है, यह नामन-पत्र किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का निकाय, निगम अथवा अनिगम के संबंध में हो सकता है।

उन मामलों में जहाँ कोई नामन पत्र नहीं किया गया, मृत्यु पर उपदान की राशि का निम्नलिखित के अनुसार भुगतान किया जाएगा-

- निम्नांकित 1 से 5 के अनुसार परिवार के यदि एक अथवा अधिक सदस्य जीवित हों, तो इसका भुगतान सभी ऐसे सदस्यों में बराबर-बराबर भाग में किया जाएगा, इसमें विधवा पुत्री ऐसे सदस्यों में बराबर-बराबर भाग में किया जाएगा, इसमें विधवा, पुत्री जैसे सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे।

2. यदि परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा हो, परन्तु एक अथवा अधिक विधवा पुत्री जीवित हों, एवं/अथवा निम्नांकित से के अनुसार परिवार के अधिक सदस्य जीवित हों, तो उपदान राशि का भुगतान ऐसे सभी सदस्यों में बराबर-बराबर कर दिया जाएगा।

च) इस पैराग्राफ के उद्देश्य से 'परिवार' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

1. पत्नी अथवा पत्नियाँ (व्यायिक रूप से पृथक्कीकृत पत्नी अथवा पत्नियों सहित), पुरुष कर्मचारी के मामले में
2. पति (व्यायिक रूप से पृथक्कीकृत पति सहित), महिला कर्मचारी के मामले में
3. पुत्र, जिनमें सौतेला पुत्र एवं दत्तक पुत्र शामिल हैं।
4. अविवाहित पुत्रियाँ, जिनमें सौतेली पुत्रियाँ एवं दत्तक पुत्रियाँ साथ ही विधवा पुत्रियाँ सम्मिलित हैं।
5. 18 वर्ष से कम उम्र के भाई, जिनमें सौतेला भाई एवं सौतेली बहन शामिल हैं।

क) पिता

ख) माता

ग) विवाहिता पुत्रियाँ एवं

घ) मृत्युपूर्व किसी पुत्र के बच्चे

छ) जब निदेशक शासकीय निकाय के अनुमोदन के साथ इस बात से संतुष्ट होता है कि इन प्रावधानों के प्रचालन के कारण किसी कर्मचारी के ऊपर अनावश्यक कष्ट उत्पन्न करता है अथवा करने की संभावना रहती है, तो वह, इन प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारियों के मामले में इस प्रकार से व्यवहार करें कि उन्हें यह उचित एवं व्याय संगत प्रतीत हो।

15. अवैतनिक संकाय सदस्यों की सुविधाएँ एवं उत्तरदायित्व :

क) केन्द्र अवैतनिक प्रोफेसरों एवं फेलो को उनके अनुसंधान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, यदि एवं जहाँ आवश्यक हो। ऐसी सहायता के लिए वित्तीय अंतर्वेश सामान्यतः कम होगा। जहाँ सहायता के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई है, वहाँ केन्द्र छांचागत संरचना समर्थन हेतु अनुदान एवं केन्द्र के कार्मिक उपलब्ध करवाएगा। केन्द्र अपने अवैतनिक संकाय को उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में देखता है।

ख) जब कोलकाता से बाहर के अवैतनिक प्रोफेसर एवं फेलो केन्द्र में भ्रमण करते हैं, तो वे केन्द्र के अतिथि होंगे।

ग) कोलकाता में अवस्थित अवैतनिक प्रोफेसर एवं फेलों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी अथवा आंशिक यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा, यदि उन्हें केन्द्र में नियमित रूप से बारम्बार आना पड़ता है।

- घ) 1. अवैतनिक प्रोफेसर एवं फेलो से आशा की जाती है कि वे अपने प्रकाशनों में केब्ड से प्राप्त इन समर्थनों का उल्लेख करें।
2. जहाँ कहीं संभव हो, उनसे अपने प्राकाशनों में केब्ड से अपनी सम्बद्धता भी प्रदर्शित करने की आशा की जाती है।

16. सामान्य नियंत्रण :

- क) केब्ड सरकार केब्ड के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा के लिए समितियों का गठन कर सकती है तथा इनके कार्य-व्यापार के संबंध में ऐसे तरीकों से, जैसा कि केब्ड सरकार निर्धारित करती है, प्रश्न पुछ सकती है। ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति पर, केब्ड सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है अथवा मार्गदर्शन जारी कर सकती है, जैसा कि रिपोर्ट में उठाई गई किन्हीं विषय वस्तु के संबंध में यह आवश्यक मानती है, तथा केब्ड ऐसे निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा।
- ख) केब्ड उन दिशा-निर्देशों का परिपालन करेगा, जैसा कि केब्ड सरकार द्वारा, समय-समय पर, केब्ड के प्रभावकारी प्रशासन के लिए जारी किया जाता है।
- ग) यदि केब्ड द्वारा अधिकारों के प्रयोग अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अथवा के संबंध में केब्ड एवं केब्डीय सरकार के मध्य कोई विवाद पैदा होता है, तो इस संबंध में केब्डीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- घ) केब्ड केब्डीय सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी एवं अन्य सूचनाओं ऐसे प्रारूपों में उपलब्ध करवाएगा, जैसा कि केब्डीय सरकार द्वारा समय-समय पर मांग की जाती है।